# जनलोकपाल विधेयक एवं भ्रष्टाचार

**डॉ0 शगुफ्ता**

*प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाग*

*इस्माईल नेशनल गर्ल्स पी0जी0 कालेज मेरठ।*

***साराशं***

*वास्तव में राजनीति भ्रष्टाचार से सभी बुराईयों का जन्मदाता है आज नेता बनने के लिए टिकट प्राप्त करने से लेकर चुनाव तक और फिर मंत्री बनने तक केवल भ्रष्टाचार को ही अपनाया जाता है।*

*दूसरी तरह के भ्रष्टाचार को हम प्रशासनिक भ्रष्टाचार कह कर पुकारते है। इसके अन्तर्गत रख चपरासी से लेकर बाबू, अधिकारी, अभियन्ता, कार्यालय–अधीक्षक, सचिव और फिर उन पर भी आसीन उच्चाधिकारी आते है। 'दाम बनाए काम' की नीतिपूर्ण रूप से यहाँ लागू होती है। कितना भी कठिन कार्य हो रिश्वत के दम पर फटाफट हो जाता है। फाइलें गायब भी हो जाती है और उन पर टिप्पणियाँ भी लिखी जा सकती है। तीसरे प्रकार भ्रष्टाचार है व्यावसायिक भ्रष्टाचार खाने पीने के चीजों में मिलावट, घटिया व नकली औषधियों, जमाखोरी समाज की कमजोर बनाते हैं।*

***संकेतशब्द*** *भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक व्यवस्था, नौकरशाह, लोकपाल, अन्ना हजारे*

Reference to this paper should be made as follows:

**डॉ0 शगुफ्ता**

*जनलोकपाल विधेयक एवं भ्रष्टाचार,*

*RJPP 2017, Vol. 15, No. 3, pp. 106-112, Article No. 16 (RP593)*

***Online available at :*** *http://anubooks.com/?page_id=2004*

समाज राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। मनुष्य समाज में रहकर जीवन यापन करते हुए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से निजी एवं राष्ट्रीय विकास करता है। जिस समाज में स्वच्छ सतवृत्तियों पनपती है। वह समाज भला समाज कहलाता है यदि दृष्प्रवृतियाँ पनपती है तो कहा जाता है कि अब समाज का पतन आरम्भ हो चुका है।

भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण मन, वाणी, तथा कर्म से पूरी तरह भ्रष्ट हो जाना यह रख ऐसा कोढ़ है जो राष्ट्र की स्वार्थपरता तथा अनैतिकता का गढ बना देता है, अंतर्मन को खोखला कर देता है।

वास्तव में राजनीति भ्रष्टाचार से सभी बुराईयों का जन्मदाता है आज नेता बनने के लिए टिकट प्राप्त करने से लेकर चुनाव तक और फिर मंत्री बनने तक केवल भ्रष्टाचार को ही अपनाया जाता है।

दूसरी तरह के भ्रष्टाचार को हम प्रशाासनिक भ्रष्टाचार कह कर पुकारते है। इसके अन्तर्गत रख चपरासी से लेकर बाबू, अधिकारी, अभियन्ता, कार्यालय–अधीक्षक, सचिव और फिर उन पर भी आसीन उच्चाधिकारी आते है। 'दाम बनाए काम' की नीति पूर्ण रूप से यहाँ लागू होती है। कितना भी कठिन कार्य हो रिश्वत के दम पर फटाफट हो जाता है। फाइलें गायब भी हो जाती है और उन पर टिप्पणियाँ भी लिखी जा सकती है। तीसरे प्रकार भ्रष्टाचार है व्यावसायिक भ्रष्टाचार खाने पीने के चीजों में मिलावट, घटिया व नकली औशधियों, जमाखोरी समाज की कमजोर बनाते हैं।

भारतीय समाज में भ्रष्टाचार अब उस सीमा तक पहुँच चुका है जिससे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार भी बच नहीं पाये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इण्डिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार बीपीएल परिवारों से वर्ण 2008 में भारत में 900 करोड़ रूपये का लेन देन रिष्वत के तौर पर हुआ।

भारत की राजनीति न्यायपालिका, सरकारी तंत्र तथा मीडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार देश के लिए खतरनाक है ट्रांसपेरेन्सी करप्शन इंडेक्स के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में 180 देषों की सूची में भारत का 85वां स्थान है।

आज, जबकि नव–पूंजीवाद–शक्तिशाली, भारी भरकम, तातकवार होकर खड़ा है और समाज में अपना विष फैला रहा है– ठीक उसी समय भारत स्तरहीनता, पतन और विघटन के द्वार पर खडा है। यह कठिनाईयों का एक नया दौर है। इस नए संकट की प्रमुख विषेशता यही है कि विष्व भर की समस्त शक्तियाँ नाटकीय ढंग से उपभोक्तावाद के आगे घुटने टेक रही है जो कि भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण भी बन गया है अधिकाधिक राष्ट्र इसके शिकार हो रहे है और भ्रष्ट ताकतें अपना मुँह उठाने लगी है। आश्चर्य इस बात का है कि भारत इन सबसे ऊपर है। भारत का यह संकट अब हमारी गृह एवं विदेश नीतियों में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि धर्मनिष्ठ कार्य भी इस दृषित वातावरण की चपेट में आ गए है। क्या यह कहना ठीक नहीं होगा।

भ्रष्ट्राचार हमारे रोजमर्रा जीवन को भी अनेकों रूप से प्रभावित कर रहा है। ठेठ ऊपर से नीचे तक विभिन्न स्तरों पर यह महामारी हमें नोंच खसोट रही हैं। ऐसा लगता है कि टूटते सामाजिक ढाँचे, बर्बाद अर्थव्यवस्था, पंगु राजैतिक व्यवस्था से किसी को कोई सरोकार नहीं है। विचारधारा की बात तो छोड़ ही दीजिए। आश्चर्य की बात यह है कि दिन के उजाले में यह दिखाई नहीं पड़ता किन्तु सतह के नीचे बहुत कुछ एक रहा है।

क्या इसका दोश हम अपनी आजादी पर मढ़े या फिर उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जिस पर हमारे नेताओं ने आजाद भारत का ढाँचा रखने की बात सोची? आजादी अपने पूर्ण अर्थ में हमें अपनी आशाओं को कार्यान्वित करने की आज्ञा देती है। यदि हम उस परपेक्ष्य में देखें तो यह दो–तरफा संकेत देती है। एक हम अपनी जरूरतों को हद में कर लें। दूसरी, शक्ति के दुरूपयोग को हम प्रमाणित कर अपनी प्रभुता का एलान कर दें। किन्तु हम भारतीय अपनी सभी हदों को पार कर निर्लज्ज हो गए हैं।

आज ढूँढे से भी एक नेता बेदाग नहीं मिलेगा। एक नौकरशाह आरोपमुक्त नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कोई महकमा घोटाले से मुक्त नहीं है। हमारी श्रद्वा अब हमारी लाचारी बन गयी है।

पूंजीवाद के पुजारी एक ही बात में विष्वास रखते है कि पैसे और सत्ता दोनों से भाग्यवान लोगों की अभाग्यशाली लोगों पर बेरोक टोक बपौती बरकरार रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि गरीब, ईमानदार और सभ्य लोगों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं? क्या पैसा इतना शक्तिशाली है कि और सभी मानव मूल्यों को हम ताक पर रख दें? क्या हम वापस पाषाण युग में नहीं जा रहे जहाँ आदमी–आदमी की महत्ता से अवगत नहीं था।

लोकतंत्र, मूल्यों और सिद्धान्तों की स्थापना के लिए हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने उपनिवेष साम्राज्य के खिलाफ कड़ा संघर्श किया। क्या हमारी समझ हमें पुनः गुलाम बनने की अनुमति देती है? यदि नहीं तो सिर्फ 63 सालों में इतने पतित हो गये कि भारत को भ्रष्टाचार के मामलों ने उच्च स्थान पर ला खड़ा किया?

वर्तमान भारत के लिए इससे अधिक प्रासांगिक विशय की कल्पना शायद ही की जा सके। समाज के हर स्तर और हर क्षेत्र को भ्रष्टाचार प्रभावित कर रहा है। यह समाज की सर्वाधिक चिंता का विषय भी है। इस पर हर रोज बहसें होती हैं। वाद–विवाद चलते रहते हैं। ट्रांसपेंरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत इस समय दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक हैं देश के लिए इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है।

हमेशा ऐसी स्थिति नहीं थी आजाद भारत को अपने अतीत से विरासत में दो चीजें मिली थीं महात्मा गांधी से उसे स्वच्छ राजनीति मिली थी तो ब्रिटिश राज से उसे साफ सुधरी नौकरशाही दी थी चुनावी राजनीति ने गाधी वादी राजीतिज्ञों की प्रजाति का सफाया कर दिया इससे राजनीति में दाखिले को प्रणाली ही बदल दी नतीजे के तौर पर रख नितात भिन्न दंग कर उत्पाद अस्तित्व में आया आज देष का सौभाग्य सूर्य अस्त होता दिखाई दे रहा है इस अर्ध पतन को वेदनादायक कथा पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है।

लोक प्रशासन के अस्सागर में दोशियों को दंड देने के लिए कई अस्त्र है और कर्तव्य से विचलित होने वालों के विरूद्व इस सबका उपयोग बिना किसी भय या पक्षपात के किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि अपने देश में भ्रष्टाचार को समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। 1860 में तैयार की गयी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 से 171 तक सार्वजनिक जीवन में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त न हो देने के लिए ही निर्मित की गयी थी भारत जिस वर्श स्वतंत्र हुआ तभी कानू की किताब में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 शामिल किया गया भारत में भ्रष्टाचार निरोधक मशीनरी मौजूद थी लेकिन यह कमजोर और निष्दृभावी थी। समाज में भ्रष्टाचार के विरूद्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक विभागों और राज्यों

में लोकायुक्तों के रूप में संस्थागत रक्षा कवच तैयार किये गये लेकिन व्यावहारिक तौर पर इनकी उपयोगिता संदिग्ध पायी गयी केन्द्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सी0बी0आई0 और केन्द्रीय विजीलैंस कमिश्नर मौजूद है मगर उनके हाथ नेताओं ने बांध रखें है। संयुक्त सचिव और इससे रूपर स्तर के अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है इन अधिकारियों पर छापा मारने और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्हें सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है जो आमतौर पर नहीं मिलती है।

सन् 1960 ई0 में लोकपाल नियुक्त करने की चर्चा शुरू हुई थी, सन् 1968 में संसद में पहला लोकपाल बिल पेश किया गया था गत 43 वर्शो से यह मामला खटाई में पडा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कैसे स्वीकार किया जाये कि वर्तमान में लोकपाल बिल संसद से पारित भी हो जाता है तो भी इसको भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकारी तत्र ईमानदारी से लागू करेगा, कुछ लोगों द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए संवैधानिक दर्जा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य चुनाव आयुक्त एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त है मगर क्या इन पदों पर आसीन रहे लोगों का दामन भ्रष्टाचार से साफ रहा है? ऐसी स्थिति में यह कैसे मान लिया जाए कि लोकपाल सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कारगर ढंग से कोई कार्यवाही कर पाएगा इससे पूर्व भी भारतीय राजनीति में सन् 1974 में और सन् 1989 में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण्ध और श्री वी0पी0सिंह ने जन आन्दोलन शुरू किया था, जनता समग्र क्रान्ति चाहती थी मगर यह मात्र सत्ता परिवर्तन बन कर रह गया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में उमड़े जन सैलाब में हर दूसरा चेहरा किसी नौजवान का था उत्साह से भरे इन चेहरों ने बुद्धिजीवियों के सोचे का नजरिया ही बदल दिया। यकीन नहीं हो रहा है कि आधुनिक युग का नौजवान इस कदर एकजुट हो जाएगा। यह सच है कि भ्रष्टाचार देश को पिछले 60 वर्शो से धुन की तरह धीरे–धीरे नष्ट कर रहा है। राजनेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार से समाज का हर वर्ग बुरी तरह परेशान है। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर हमारे उस युवा वर्ग पर पड़ता है, जो देश के भविष्य का ताना–बाना बुनते हैं भ्रष्टाचार देश में सभी समस्याओं की जड़ है यह नौजवानों, किसानों, कामगारों सहित हर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है। यद्यपि आर0टी0आई0 और लोकायुक्त इस लड़ाई के हथियार हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से कारगर नहीं है।

आधुनिक लोकतान्त्रिक देशों में इस बात की अधिकाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है कि देश में एक ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिकरण होना चाहिए जो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर निर्भीकतापूर्वक विचार कर सकें तथा इस सम्बन्ध में जनता की शिकायतों की समुचित छान–बीन कर उन्हें दूर करने की दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभा सकें, इस प्रकार जनता में प्रशासन के प्रति निरन्तर गिरते जा रहे विश्वास को पुनः ऊपर उठा सकें ओम्बुड्समैन एक ऐसा ही स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी होता है तो लोक सेवकों के विरूद्व के विरूद्व शिकायत सुनता है। सम्बन्धित विषय की जांच–पडताल करता है तथा उचित कार्यवाही के लिए सिफारिश करता है ओम्बुडसमैन संस्था स्वीडन की उपज है जहाँ इसे सर्वप्रथम सन् 1809 के संविधान के अन्तर्गत स्थापित करता है, इसके बाद यह फिनलैण्ड (1918), डेनमार्क (1954) और नार्वे (1961) में स्थापित हुआ। सन् 1967 के मध्य तक ओम्बुड्समैन संस्था किसी न किसी रूप में 12 देशों में अपनाई गई।

भारत में लोकपाल का विचार स्वीडन की संस्था ओम्बुड्समैन का ही प्रतिरूप माना जा सकता है। संस्था की स्थापना का विचार सन् 1968 ई0 में में ''भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग'' ने प्रस्तुत किया था। आयोग ने अपने प्रारूप में इस संस्था के दो उद्देश्य निरूपित किए थे– (1) नागरिकों की प्रशासन के विरूद्व शिकायतों को सुनना एवं (2) भ्रटाचार को रोकना।

''भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग'' की सिफारिशों के अनुरूप पहला 'लोकपाल' एवं लोक आयुक्त विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया था, किन्तु चौथी लोकसभा के अवसान के कारण यह विधेयक पारित न हो सका सन् 1971 में पुनः लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, किन्तु पाँचवीं लोकसभा के भंग हो जाने से तब भी यह विधेयक पारित नहीं हो सका। सन् 1977 में पुनः ''लोकपाल विधेयक'' लाया गया, परन्तु सरकार के नुमाइंदों व कुछ बिन्दुओं को लेकर सरकार और विपक्षी नेताओं में मतभेद रहे और विधेयक बिना किसी परिणाम की प्राप्ति के समाप्त हो गया।

26 अगस्त सन् 1985 को संसद में प्रस्तुत 'लोकपाल विधेयक' विषेशतः भ्रष्टाचार निवारण के लिए ही था, विधेयक के अनुसार लोकपाल 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' अथवा 'भारतीय दण्ड संहिता' के अन्तर्गत आने वाली षिकायतों की सुनवाई करेंगे, ऐसी प्रत्येक शिकायत के साथ शिकायतकर्ता को एक शपथ पत्र और एक हजार रूपये की जमानत देनी होगी। लोकपाल को यह अधिकार होगा कि वह उन निरर्थक शिकायतों को अस्वीकार कर दें जिसका अपराध शिकायत की तिथि से पांच वर्श पूर्व किया गया हो, विधेयक में विशेष परिस्थितियों में लोकपाल की जांच रोकने तथा स्थगित करने का प्रावधान किया गया है।

श्री विष्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा–पत्र की भावना के अनुसार ''लोकपाल विधेयक'' प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी ने दिसम्बर 1989 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया कि उच्चतर राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या का मुकाबला करने के लिए अनिवार्य है, लेकिन प्रस्ताविक विधेयक अपनी कमियों के कारण व्यापक आलोचना का विषय बना रहा। श्री पी0वी0नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस (ई) की सरकार लोकपाल की स्थापना करने का जोर–शोर से प्रचार करती रही, लेकि वह उसे कार्य रूप में परिणित हीं कर सकी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री एच0डी0 देवगोड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चे की सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लोकपाल की स्थापना करने का प्रयास किया यद्यपि केन्द्र सरकारों ने दस बार लोकपाल विधेयक पारित कराने का प्रयास किया, लेकिन यह विधेयक आज तक 'लोकपाल अधिनियम' नहीं बन पाया है।

गाँधीजी ने तो 6 दिसम्बर सन् 1928 को ही यंग इंडिया में लिख दिया था– ''भ्रष्टाचार एक दिन खुलकर सामने आ जाएगा, हालांकि इसे छिपाने की कोशिशें की जा सकती हैं और जनता जिस तरह से चाहेगी, अपने सेवकों से स्पृष्टीकरण मांगेगी, उन्हें हटाएगी, उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाएगी या फिर उनके आचरण की छानबीन के लिए किसी निरीक्षक या निर्णायक की नियुक्ति करेगी, उचित संदेह की स्थिति में ऐसा करना जनता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति के0आर0नारायणन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को लड़ने की सीख देने के लिए सन् 1997 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेष में गाँधीजी के इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया

था। आज आठ दशकों बाद राष्ट्रपिता की यह पूर्वानुमानित बात सच साबित हुई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में देश भर में लोग सामने आए हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 30 के दशक में कहा था कि ''जब देश की जनता अपने नेताओं और प्रशासकों से हिसाब मांगने लगे तो समझिए करप्शन कम हो जाएगा।''

अपनी हत्या के कुछ दिन पहले ही गाँधी जी ने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा। जब बड़ी संख्या में अनैतिक काम से जुड़े लोगों को एहसास होगा कि उनके कश्त्यों से देश नहीं बचेगा। इसके लिए नैतिकता के उच्च मानदण्डों, अति सतर्कता और भ्रष्ट सेवकों पर दबाव बनाने की जरूरत है। छः दशक से ज्यादा समय पहले गाँधी की कही हुई बातें हमारी पीढ़ी के लिए अर्थपूर्ण और प्रासंगिक हैं, आजादी के कुछ महीने पहले ही गांधीजी ने लिखा था कि बहुत ज्यादा नियन्त्रण भ्रष्टाचार का बढ़ावा देगा। सरल प्रक्रियाएँ और कानून, रिश्वतखोरी और अनैतिक कामों की मुखालफत में मददगार साबित होंगे।

निष्कर्ष

यक्ष प्रश्न यह है कि क्या लोकपाल विधेयक भारतीय समाज की रग–रग में रसे–बसे हुए भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाएगा? हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, मगर उनको ईमानदारी से लागू करने का कोई प्रयास नहीं करता। राजनीतिक दबाव और वकीलों के दाव–पेंच से अपराधी साफ बच जाते हैं। यही कारण है कि इस देश की आम जनता को आज भी यह विश्वास नहीं है कि सत्ताधारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचार के प्रति समाज के दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ दशक पूर्व तक ईमानदार व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृटि से देखा जाता था, लेकिन आज उसे सनकी और मूर्ख माना जाता है।''

एक अधिकार सम्पन्न लोकपाल का सबसे बड़ा योगदान यह दर्शाने में रहेगा कि वह भ्रष्टाचारी को कैसे प्रभावी ढंग से काबू करेगा। देश भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है। इसके लिए कानून एजेंसियों की कमी नहीं है। जरूरत है तो समाज के नजरिए को बदलने की, जो भ्रष्टाचार को सहन न करें और न होने दें। लोकपाल भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक स्वागत योग्द कदम है।। सबसे ज्यादा जरूरत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की है ताकि एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से काम करें और कानून अपना काम अविलम्ब करें।

लोकपाल व्यवस्था की पूर्णताः स्वशासित और स्वतंत्र होना चाहिए या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस व्यवस्था को कौन से कार्य और अधिकार दिये जाने है। यदि लोकपाल व्यवस्था को देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के निवारण की सर्वोच्च संस्था बनाया जाना है और उसकी कार्यवाही के अधीन देश की समस्त कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों को रखा जाना है जैसा कि अन्ना हजारे की अगुवाई वाली सिविल सोसाइटी की मांग है तो फिर उसे पूर्णतः स्वषासित एवं स्वतंत्र होना चाहिए तभी जाकर बहुत गहराई तक जड़े जमा चुके भ्रश्टाचार की समाप्त करने की दिशा में सफलता मिल सकती है।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अनुपमा झा– कार्यकारी निदेशक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, दिल्ली, 'रिश्वत में 900 करोड़' राजस्थान पत्रिका, जोधपुर, 9 सितम्बर 2009।
2. विनीत नारायण (वरिष्ठ पत्रकार) 'भ्रष्टाचार की रोकथाम' विषय पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एवं जल भगीरथी फाउंडेशन द्वारा 8 सितम्बर 2009 को जोधपुर में आयोजित कार्यशाला में बोलते हुये।
3. भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार जरूरी (सम्पादकीय), राजस्थान पत्रिका, 28 अगस्त 2009।
4. एस0 आर0 माहेश्वरी, भ्रष्टाचारः समाज का कैंसर, पॉलिटिक्स इंडिया, नवम्बर 1998, पृष्ठ 15।
5. मोहित भटटाचार्य– लोक प्रशासन के नये आयाम, 2006, प0 65।
6. के0 संथानम–भ्रष्टाचार निरोधक समिति रिर्पोट (1994)।
7. द हिन्दु (दैनिक), 9 नवम्बर, 1996।
8. प्रतियोगिता दर्पण/अगस्त/2011/पृष्ठ 96।